

दूरभाष/ : 0361- 2302771
Tele
फ़ैक्स/ : 0361- 2302725
Fax
ई-मेल/
E-Mail: - assam.gdc.soi@gov.in



निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR
असम एवं नागालैण्ड जी.डी.सी.
ASSAM & NAGALAND G.D.C.
निधि भवन, द्वितीय तल
NIDHI BHAWAN, 2ND FLOOR
गुवाहाटी - 781029 (असम)
GUWAHATI - 781029 (ASSAM)

सं. 357 /37-जी-9

दिनांक 10 नवंबर 2022

असम एवं नागालैण्ड जी.डी.सी. नेमी आदेश सं. 08 (प्रशा0) दिनांक 10 नवंबर 2022

1. अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर तदर्थ पदोन्नति

भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं. सी-6156/853-एस. एस. दिनांक 20/21 सितंबर 2022 के अनुसार इस जी. डी. सी. के निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षकों को अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर वेतन मैट्रीक्स के लेवल 11 में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से अगले 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ पदोन्नति (ad-hoc Promotion) दी गई है :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	पद, जिस पर पदोन्नति हुई	पदोन्नति की तारीख	वेतन मैट्रीक्स	अभ्युक्ति
1	श्री सुभाशिष सिन्हा, अधिकारी सर्वेक्षक	अधीक्षक सर्वेक्षक	26.09.2022	लेवल 11	-
2	श्री सुरजीत पुरकायस्थ, अधिकारी सर्वेक्षक	अधीक्षक सर्वेक्षक	06.10.2022	लेवल 11	-
3	श्री एम. सामिनाथन, अधिकारी सर्वेक्षक	अधीक्षक सर्वेक्षक	22.09.2022	लेवल 11	-


प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं. सी-6156/853-एस. एस. दिनांक 20/21 सितंबर 2022

2. प्रशासन को मजबूत बनाना - 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी अधिकारियों के पुनरीक्षण मामलों पर पुनर्विचार

भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने इस कार्यालय के Shri M. Saminathan, Officer Surveyor (now Suptdg. Surveyor (adhoc)) को उनके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है ।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी अधिकारी
1	श्री एम. सामिनाथन	अधीक्षक सर्वेक्षक (तदर्थ)	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं. सी-5080/854-आर (गजेटेड) दिनांक 08 /09 सितंबर 2022



(च. वेंकटेश्वरा राव)

निदेशक

असम एवं नागालैण्ड जी.डी.सी., गुवाहाटी

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ
2. सर्वे ऑफ इंडिया वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एक प्रति
3. ई-मेल द्वारा सभी जी.डी.सी. को सूचनार्थ
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता
6. प्रभारी लिपिकवर्गीय अनुभाग; अ. एवं ना. जी.डी.सी., गुवाहाटी को सूचना एवं सभी सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिकों की सेवापुस्तिका में प्रविष्टि करवाने हेतु